— प्रेस नोट —

थाना चील्ह पुलिस द्वारा ग्राम पखवैया में दिनांक 30.09.2020 को अपने ही चाचा की कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर मृत्यु कारित करने वाला भतीजा गिरफ्तार—

दिनांक 30.09.2020 को थाना चील्ह के पुलिस चौकी चेतगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पखवैया निवासी सभाकांत उपाध्याय पुत्र स्व0 राम प्रसाद उपाध्याय उम्र करीब 50 वर्ष, जो अपने घर बरामदे में अपने छोटे पुत्र कृष्णा उम्र करीब-10 वर्ष के साथ तख्ते पर सो रहे थे कि समय करीब 05:30 बजे इनके सगे भतीजे पंकज उपाध्याय पुत्र उमाकांत उपाध्याय उम्र करीब-26 वर्ष द्वारा अपनी पत्नी के ऊपर भूत-प्रेत करने की आशंका को लेकर सभाकांत उपाध्याय के सिर पर सोते समय कुल्हाड़ी से मार कर मृत्यु कारित कर दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना चील्ह पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त पंकज कुमार उपाध्याय पुत्र उमाकांत उपाध्याय निवासी ग्राम पखवैया थाना चील्ह मीरजापुर को आज दिनांक 01.10.2020 को चेतगंज बाजार के पास से समय करीब 08.10 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी जिसे आरोपी द्वारा अपने घर के पास केले के पौधों के बीच छुपा कर रखा था, को बरामद किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

1- पंकज कुमार उपाध्याय पुत्र उमाकांत उपाध्याय निवासी ग्राम पखवैया थाना चील्ह मीरजापुर।

बरामदगी विवरण—

घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल कुल्हाड़ी।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

1- प्र0नि0 छोटक यादव थाना चील्ह मीरजापुर।
2- उ0नि0 राम प्रताप यादव थाना चील्ह मीरजापुर।
3- हे0का0 इंद्रबली राय थाना चील्ह मीरजापुर।
4- का0 हरिश्चंद्र थाना चील्ह मीरजापुर।